न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2011/00026 (2011/15) **दायरा दिनांक : 23.02.2011**

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां .... अपीलांट

बनाम

1. दोजमल आत्मज रामसुख, जाति छीपा, निवासी दीनदयाल पार्क के पास बारां
2. जुगल किशोर पुत्र हजारी लाल विजयवर्गीय, जाति महाजन मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   - 2/1. श्रीनिवास विजय पुत्र जुगलकशोर, जाति महाजन, निवासी 6–ए 1 महावीर नगर तृतीय कोटा
   - 2/2. मंगल बिहारी पुत्र जुगलकिशोर, जाति महाजन, निवासी बी–4/501 वाटरलिली अदाणी शान्तिग्राम एस.जी.हाईवे वैष्णोदेवी सर्कल के पास, अहमदाबाद पिन कोड 382421
   - 2/3. गायत्री विजय पुत्र जुगल किशोर पत्नी सुरेश चन्द विजय, जाति महाजन, निवासी प्लाट नं. 5 एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे गुढा कटला रोड बादीकुई, जिला दौसा पिन कोड 303313
3. सीतादेवी बेवा श्री बृजमोहन जोशी, जाति ब्राहमण
4. पुरूषोत्तम पुत्र गंगाधर, जाति ब्राहमण, निवासीगण जयप्रकाश कालोनी, बारां
5. अरविन्द कुमार पुत्र महेशचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी स्टेशन रोड, बारां
6. विष्णुप्रसाद पुत्र श्री गुलाबचन्द, जाति छीपा, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां
7. धीरज कुमार पुत्र दुलीचन्द, जाति महाजन, निवासी शाहबाद वार्ड बारां, तहसील व जिला बारां (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   - 7/1. विद्यादेवी पत्नी धीरज कुमार, जाति महाजन, निवासी प्लाट ए'04 कृष्णा कालोनी, हास्पीटल रोड, बारां
   - 7/2. अरूण गर्ग पुत्र धीरज कुमार, जाति महाजन, निवासी प्लाट ए'04 कृष्णा कालोनी, हास्पीटल रोड, बारां
   - 7/3. स्वाति पुत्री धीरज कुमार, पत्नी शैलेन्द्र गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 26 आरोग्य नगर, मेडिकल कालेज के सामने अन्नतपुरा फूटा तालाब, कोटा
   - 7/4. प्रियंका पुत्री धीरज कुमार पत्नी निखिल जैन, जाति महाजन, निवासी 3 ई 25 तलवंडी कोटा, केशवपुरा कोटा
   - 7/5. रितु पुत्री धीरज कुमार पत्नी अभिषेक गुप्ता, जाति महाजन, निवासी प्रकाश नमकीन के पास आजाद सर्किल छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता व श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 02.04.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 54/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में दोजमल वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि सुसावन के माल की साबिक खसरा नम्बरान 467 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 492 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 494 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 431 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 432 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 531 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 532 रकबा 10 बिस्वा कुल 8 किता कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2004 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में तनकी नं. 1, 2, 3 वादी के पक्ष में एवं तनकी नं. 4, 5 प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध निर्णित कर वादी को आराजी खसरा नं. 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर में से 0.03 हेक्टर छोडकर रकबा 0.96 हेक्टर आराजी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 वाद पत्र आया वादी ने प्रतिवादी कम 2–7 को उक्त विवादित आराजी को बेचान किया जिसका इन्तकाल नं. 275 प्रतिवादी नं. 2–7 के पक्ष में खुला, परन्तु खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हुआ। जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने नकल जमाबंदी संवत 2031–2034 में अंकित नोट अनुसार किया है जो एक्जीविट पी–1 है जिसमें इंतकाल प्रतिवादी कम 2–7 के पक्ष में खुला हुआ जाना पुष्टि की है जबकि प्रदर्श एक्जीविट पी 1 में नामा0 सं. 275 केवल जुगलकिशोर, सीतादेवी रेस्पोडेंट कम 2–3 के नाम अंकित होना दर्ज है। अन्य रेस्पोडेंट के नाम प्रदर्श 1 में अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा उक्त प्रस्तुत दस्तावेज का सही तरीके से अवलोकन नहीं करके उक्त तनकी नं. 1 वादी के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। तनकी नं. 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आराजी वादी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोडेंट कम 2 से 7 को विक्रय किया है तथा स्वयं का कब्जा उक्त विवादित आराजी पर ओपन एण्ड होस्टायल रूप से प्रतिवादी नं. 2 से 7 के विरूद्ध बेजानकारी रहा है एवं इस आधार पर उसे प्रतिकूल कब्जा मानकर उक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर कानूनी त्रुटि की गई है क्योंकि वादी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा उक्त कब्जे की पुष्टि में कोई स्वतंत्र गवाह से उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं करायी है एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य से उक्त कथन की पुष्टि नहीं करायी गई है तथा रेस्पोडेंट कम 2 से 7 व रेस्पोडेंट कम 1 षडयंत्र पूर्वक मिली भगत करके इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। यह कि उक्त विवादित आराजी संवत 2051–2054 एक्जीविट पी 5 के अनुसार सिवाय चक सरकार दर्ज की गई थी तथा सरकार का ही उक्त आराजी पर उक्त दिवस से कब्जा चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडेंट कम 1 का उक्त आराजी पर दिनांक 05.03.1976 को विक्रय रेस्पोडेंट कम 2 से 7 को की जाने के उपरान्त कानूनी कोई अधिकार नहीं रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। तनकी नं. 3 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि वादी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटि कर उक्त विवादित आराजी जमाबंदी संवत 2051–2054 जो एक्जीविट पी 5 है, के अनुसार सिवायचक दर्ज कर दी गई है जिसे वादी इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी मानकर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी कतई गैर कानूनी रूप से निर्णित की है। जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि उक्त विवादित आराजी को वादी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोडेंट कम 2 से 7 को बेचान कर चुका है तथा नामा. नं. 275 से उक्त विवादित आराजी जुगल किशोर, सीतादेवी के नाम खातेदारी में अंकित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त इन्द्राज दुरूस्ती कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। तनकी नं. 4 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 1/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है। उक्त विवादित आराजी का अपीलांट द्वारा कहीं किसी को आवंटन/नियमन नहीं करना कोई गैर कानूनी तथ्य नहीं है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 की कब्जे से लैण्ड होल्डर की पुष्टि होती है। तनकी नं. 5 अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को बिना किसी सक्षम न्यायालय से खारिज करवाये उक्त वाद जो वादी द्वारा दायर किया गया है, उसे इस आधार पर कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उक्त विक्रय बाबत वादी प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर प्रभावहीन माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। कानूनन वादी द्वारा प्रतिवादी कम 2 से 7 के पक्ष में दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने के उपरान्त समस्त मालिकाना हक प्रतिवादी कम 2 से 7 के हक में अन्तरित हो गये हैं, तथा रेस्पोडेंट कम 2 ता 7 द्वारा इकबालिया जवाब दुर्भिसंधि करके प्रस्तुत किया गया है जिससे वादी/रेस्पोडेंट कम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन उक्त तनकी का निर्णय करने में गम्भीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कतई गैर कानूनी व त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1–5 कतई गैर कानूनी तौर पर की गई है। अतः वाद वादी रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में दिनांक 20.04.2004 को निर्णय कर डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि फैसला व डिक्री दिनांक 20.04.2004 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां प्रकरण सं. 54/2003 दोजमल बनाम राज0 सरकार गैर कानूनी होने से निरस्त फरमावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.01.2011 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि ग्राम सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां राज० के माल की आराजी जिसका साबिक खसरा नं. 467 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 492 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 494 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 431 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 432 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 531 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 532 रकबा 10 बिस्वा कुल 8 किता कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि रेस्पो० कम 1 के खातेदारी में दर्ज थी जिसमे से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को रेस्पो० कम 2 से 7 को बेचान कर दी गई थी जिसका नामान्तरण भी रेस्पो० कम 2 से 7 के पक्ष में खोल दिया गया था जो केतागण रेस्पो० कम 2–7 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ एवं खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा का नया खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नं. 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर कायम किया गया जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया जिसकी कार्यवाही बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की गयी जो आराजी वर्तमान जमाबन्दी सिवायचक सरकार दर्ज है और अपीलान्ट (सरकार) के कब्जे मे है जिसमे से 0.03 हेक्टर भूमि नगरपालिका, बारां के नाम दर्ज है शेष भूमि 0.99 हेक्टर मे से 0.96 हेक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच० 76 से अधिग्रहण कर ली गई है एवं 0.17 हेक्टर भूमि का मुआवजा भूमि बेचान कीमतन रेस्पो० कम 1 का निर्धारित किया गया है। रेस्पो० कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद आर०टी०एक्ट के तहत् रेस्पो० कम 2 से 7 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा जिसका नया खसरा नं. 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर है का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 से रेस्पो० कम 1 ने रेस्पो० कम 2 से 7 को बेचान कर दी गई है जिस पर पिछले 25 वर्षों से कब्जे काश्त का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है मात्र ऑपन होस्टायल रूप से प्रतिवादी कम 2 से 7 का प्रतिकूल कब्जा रहा है और रेस्पो० को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित करने का गलत रूप से वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है तथा रेस्पो० कम 2 से 7 उक्त विवादित आराजी के केता को इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से तथ्यो के विपरीत रेस्पो० कम 1 के पक्ष में प्रकरण का निर्णय पारित कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है जिस पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर 2023 आर.बी.जे. पेज नम्बर 114 से सिर्फ कब्जे के आधार पर किसी अतिक्रमी के पक्ष में भूमि के खातेदारी के अधिकार अतिक्रमी को नहीं दिये जा सकते। उक्त फैसले के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के यहां एक रेफरेन्स विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत किया गया जिसमे जिला कलेक्टर, बारां द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेफरेन्स राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तथा उक्त आदेश की पालना माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स का निर्णय दिनांक 02.11.2010 को माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा पारित किया गया रेफरेन्स मेन्टेबल नही होने से खारिज कर दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने फैसले की अपील माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां अपील किये जाने का उल्लेखित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष में एवं तनकी नं. 4, 5 प्रतिवादी/रेस्पो० कम 1 के विरूद्ध निर्णित कर वादी/रेस्पो० कम 1 को आराजी ख० नं० 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर में से 0.03 हेक्टर छोडकर रकबा 0.96 हेक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किये जाने में गम्भीर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं० 1 वाद पत्र आया वादी/रेस्पो० कम 1 ने प्रतिवादी/रेस्पो० कम 2 से 7 को उक्त विवादित आराजी को बेचान किया जिसका इन्तकाल नम्बर 275 प्रतिवादी/रेस्पो० कम 2 से 7 के पक्ष में खुला परन्तु खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हुआ जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने नकल जमाबन्दी 2031–34 में अंकित नोट अनुसार किया है। जो एक्जीविट पी–1 है। जिसमे इन्तकाल प्रतिवादी/रेस्पो० कम 2 से 7 के पक्ष ने खुला हुआ जाना पुष्टि की है जबकि प्रदर्श एक्जीविट पी–1 के नामा० संख्या 275 केवल जुगलकिशोर, सीतादेवी रेस्पो० कम 2 से 3 के नाम अंकित होना दर्ज है अन्य रेस्पो० के नाम प्रदर्श–1 में अंकित नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा उक्त प्रस्तुत दस्तावेज का सही तरीके से अवलोकन नही करके उक्त तनकी नं० 1 वादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। तनकी नं० 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष में निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त विवादित आराजी वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा रेस्पो० कम 2 से 7 को विक्रय किया है तथा स्वयं का कब्जा उक्त विवादित आराजी पर ऑपन एण्ड होस्टायल रूप से प्रतिवादी/रेस्पो० कम 2 से 7 के विरूद्ध बैजानकारी रहा है एवं इस आधार पर उसे प्रतिकूल कब्जा मानकर उक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर कानूनी त्रुटि की गई है क्योंकि वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा उक्त कब्जे की पुष्टि में कोई स्वतंत्र गवाह से उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं कराई है तथा रेस्पो० कम 2 से 7 व रेस्पो० कम 1 में षडयंत्रपूर्वक मिली भगत कर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। यह कि उक्त विवादित आराजी सम्वत् 2051–54 एक्जीविट पी–5 के अनुसार सिवायचक सरकार दर्ज की गई थी तथा सरकार का ही उक्त आराजी पर उक्त दिवस से कब्जा चला आ रहा है। वादी/रेस्पो० कम 1 का उक्त आराजी पर दिनांक 05.03.1976 को विक्रय रेस्पो० कम 2 से 7 को की जाने के उपरान्त कानूनी कोई अधिकार नही रहे है। अतः उक्त तनकी वादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है।

तनकी नं० 3 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि वादी/रेस्पो० कम 1 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटि कर उक्त विवादित आराजी जमाबन्दी 2051–54 जो एक्जीविट पी–5 है, के अनुसार सिवायचक दर्ज कर दी गई है जिसे वादी/रेस्पो० कम 1 इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी मानकर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी कतई गैरकानूनी रूप से निर्णित की है। जो खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त विवादित आराजी को वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

द्वारा रेस्पो० कम 2 से 7 को बेचान कर चुका है तथा नामा० नं. 275 से उक्त विवादित आराजी जुगलकिशोर, सीतादेवी के नाम खातेदारी में अंकित हो चुकी है ऐसी स्थिति में वादी/रेस्पो० कम 1 उक्त इन्द्राज दुरूस्ती कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। तनकी नं. 4 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 1/अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है। उक्त विवादित आराजी का अपीलान्ट द्वारा न ही किसी को आंवटन/नियमन नही करना कोई गैर कानूनी तथ्य नही है राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 के कब्जे से लेण्ड होल्डर की पुष्टि होती है। तनकी नं० 5 अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.03.1976 को बिना किसी सक्षम न्यायालय से खारिज करवाये उक्त वाद जो वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा दायर किया गया है, उसे इस आधार पर कि उक्त विकय बाबत् वादी प्रतिवादी/रेस्पो० के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादी/रेस्पो० कम 1 द्वारा चाहे गये अनुतोष पर प्रभावहीन माना गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी प्रतिवादी कम 1 के विरुद्ध निर्णित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है कानूनन वादी द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 कम 2 से 7 के पक्ष में दिनांक 05.03.1976 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने के उपरान्त समस्त मालिकाना हक प्रतिवादी/रेस्पो० कम 2 से 7 के हक मे अन्तरित हो गये है तथा रेस्पो० कम 2 से 7 द्वारा इकबालिया जवाब दुर्भिसंधी करके प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादी/रेस्पो० कम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन उक्त तनकी का निर्णय करने में गम्भीर त्रुटि की है।माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर ने एक याचिका नम्बर 644/2008 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां बनाम दोजमल अन्य की विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.04.2025 नियत है जिसमे रेस्पो० कम 1 दोजमल द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनाक 02.06.2006 को ग्राम सुसावन के खसरा नं. 739/903 रकबा 0.96 हेक्टर भूमि स्वयं की स्थित होने जिसे एन०एच० 76 से 0.86 हेक्टर भूमि फोरलेन में अवाप्त की गई है जिसके मुआवजे की राशि की मांग करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के यहां मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस आदेश के विरुद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में एक रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 पेश किया जिसका आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2007 को सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी एन०एच० 76 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश किया जिसमे माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां द्वारा आदेशित किया गया कि सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एन०एच० 76 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा मुआवजे की निर्धारित राशि की अदायगी एक माह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की अवधि में 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रार्थी/रेस्पो० कम 1 को अदा करेगें जबकि रेस्पो० कम 1 दोजमल के नाम भू स्वामी खातेदार होने बाबत् कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिसकी अपील राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एक याचिका नम्बर 644/2008 प्रस्तुत की है जो वर्तमान माननीय उच्च न्यायालय मे जेरकार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे व अधीनस्थ न्यायालय का फैसला दिनांक 20.04.2004 अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जुगलकिशोर, सीतादेवी का कब्जा न होने के कारण आपसी सहमति से रेस्पो० कम 1 से समझौते अनुसार उनके द्वारा अदा की गयी राशि पुनः प्राप्त कर ली गयी। इस कारण उनके द्वारा कोई उज्जरात नही किये गये। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय विधिवत साक्ष्य का विवेचन कर वादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष में निर्णीत किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2004 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 29.04.2004 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जिसका रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के आधार पर अपीलान्ट राज० सरकार जरिये तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1/2006 बउनवान सरकार–बनाम–दोजमल न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां मे पेश किया। जो निर्णय दिनांक 21.04.2007 से जिला कलेक्टर, बारां द्वारा स्वीकार कर रेफरेन्स निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर मे प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बारां को अधिकृत किया गया है जिसके आधार पर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर मे प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एल०आर०/6278/07/12 बउनवान सरकार बनाम दोजमल प्रस्तुत किया गया। जो माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 02.11.2010 को यह कहते हुये निर्णीत किया गया है कि वर्तमान प्रकरण मे यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, बारां के न्यायालय मे प्रतिवादीगण ने वादी के दावे मे इकबालिया जवाब पेश कर वाद पत्र को स्वीकार किया गया है उपखण्ड अधिकारी, बारां ने साक्ष्य सबूत लेकर तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो को जिनमे राज्य पक्ष भी शामिल है को सुनकर दावे का निर्णय किया है ऐसे निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील का प्रावधान है। अतः जहाँ अधिनियम मे अपील का प्रावधान हो वहाँ रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वर्तमान रेफरेन्स मेन्टेनेबिल नहीं होने होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा रेफरेन्स निरस्त किया गया है इस प्रकार अपीलान्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां को निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

व डिक्री 20.04.2004 की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदेही के समय ही थी तथा राजनैतिक दबाव में तहसीलदार बारां द्वारा वर्ष 2006 में रेफ्रेन्स माननीय जिला कलेक्टर, बारां के यहाँ धारा 82 राजस्थान भू राजव अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 21.04.2007 को हुआ। तब से ही उक्त निर्णय व डिक्री की सम्पूर्ण जानकारी अपीलान्ट/राज० सरकार को थी इस प्रकार अपीलान्ट राजस्थान सरकार तहसीलदार बारां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित कर उक्त अपील वर्ष 2011 में प्रस्तुत की गई है इसके साथ तत्कालीन तहसीलदार श्याम मनोहर गौतम द्वारा अपना शपथ–पत्र पेश किया गया है जिसमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 व 146 सी.आर.पी.सी. के नये शपथ–पत्र लिखकर पेश किया गया। जिससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि राजनैतिक दबाव में तत्कालीन तहसीलदार, बारां द्वारा गलत रूप से रेस्पो०/वादी को परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां द्वारा अपील मे चाही गयी प्रार्थना दिनांक 20.04.2011 की डिक्री को अपास्त किया जाना चाही गयी है इस प्रकार दिनांक 20.04.2011 की पत्रावली में कोई फैसला व डिक्री नहीं है इस प्रकार अपील गलत तथ्यों पर केवल राजनैतिक दबाव मे प्रस्तुत की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी खसरा नं. 739/903 का रकबा 0.86 हेक्टर रोड निर्माण के लिये अधिग्रहित की जाकर भूमि के मुआवजे की राशि खातेदार को भुगतान करने के लिये निर्माण प्राधिकारी द्वारा जमा करवायी जा चुकी है। जिसमे मुआवजा राशि वादी/रेस्पो० कम 1 को नहीं दिये जाने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गयी है उस पर दिनांक 23.12.2007 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने का आदेश दिया गया। जिसका रेफरेन्स वादी/रेस्पो० कम 1 दोजमल द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां के व्यवहार विविध (रेफरेन्स) संख्या 2/2008 बउनवान दोजमल–बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, बारां प्रस्तुत हुई। जिसमे राजस्थान सरकारी की ओर राजकीय अभिभाषक श्री ओमप्रकाश जी खण्डेलवाल प्रस्तुत हुये है जो विधिवत सुनवाई कर दिनांक 24.04.2008 को निर्णय पारित करते हुये विपक्षी संख्या 2 सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन0एच076), अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां मुआवजा की निर्धारित राशि की अदायगी एक माह की अवधि में मय ब्याज प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से प्रार्थी यानि की रेस्पो० कम 1 को अदा करने का आदेश पारित किया गया है। इन सभी तथ्यों को छिपाकर के अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है जो किसी भी प्रकार विधि सम्मत नही है। इसलिये अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील लिखित बहस की मद नं० 6 मे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर में एक याचिका नं० 644/2008 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां बनाम दोजमल व अन्य की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विचाराधीन है जो भूमि अवाप्ति से सम्बधित है जिसका उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है केवल वाद पत्र की विषय वस्तु को विपरीत दिशा मे मोडने के उद्देश्य से अंकित किया गया है जबकि याचिका नं० 648/2008 का उक्त अपील से कोई वास्ता नही है इस प्रकार अपीलान्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है अपीलान्ट को कोई भी दस्तावेज पेश करना है तो आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. में प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जा सकते है सीधे किसी भी प्रकार से दस्तावेज अपील में पेश नहीं किये जा सकते है इस प्रकार लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील में ग्राहय नहीं है, इस प्रकार अपील विधि विरूद्ध होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त फरमायी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय बारां के यहां एक रेफरेंस विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रस्तुत किया गया जिसे जिला कलेक्टर बारां द्वारा स्वीकार कर रेफरेंस राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत रेफरेंस का निर्णय दिनांक 02.11.2010 को रेफरेंस मेन्टनेवल नहीं होने से खारिज किया गया और साथ ही अपने निर्णय में अंकित किया कि निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान है, जिसकी पालना में न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है, जो जानकारी से अवधि मध्य है। चूंकि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज थी एवं प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने से राज्यहित एवं न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति–रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम सुसावन, तहसील बारां सवंत 2031 से 2034 प्रदर्श पी–1 के अनुसार खसरा नं. 467, 613/491, 492, 494, 431, 432, 531, 532 कुल किता 8 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादी रेस्पोडेंट कम 1 दोजमल बेटा रामसुख के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम सुसावन तहसील बारां सवंत् 2051–54 प्रदर्श पी–5 के अनुसार खसरा नं. 739/903 रकबा 0.99 हैक्टर आराजी खाता सरकार सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत वादपत्र में वादी का कथन है कि खसरा नं. 467, 613/491, 492, 494, 431, 432, 531, 532 की समस्त आराजी वादी के खाते कब्जे काश्त में थी, जिसे वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 से प्रतिवादीगण 2 ता. 7 को बेचान कर दी थी। बेचाननामा रजिस्टर्ड होने से इंतकाल नं. 275 प्रतिवादीगण 2 ता. 7 के पक्ष में खोला गया परंतु उक्त क्रेतागण का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नही लिये जाने के कारण उक्त समस्त आराजी वादी के ही खाते कब्जे काश्त में चली आ रही है परंतु वादी द्वारा सम्पूर्ण आराजी का प्रतिवादीगण 2 ता. 7 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को बेचान की जाने एवं नामान्तरण संख्या 275 प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज होने एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को सक्षम न्यायालय से खारिज कराये बिना वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 को केवल कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त को साबित करने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तथा कब्जे काश्त के सदंर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड होल्डर की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बारां द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि वादी का बिना पंजीकृत दस्तावेज निरस्त कराये वाद पेश करना न्यायोचित नहीं है। वादी दिनांक 05.03.1976 से वर्णित आराजी का खातेदार न होने से दावा निरस्तनीय है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

प्रस्तुत वादपत्र में वादी का एक अन्य कथन यह रहा है कि गत बंदोबस्त के दौरान वादपत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा के नये नम्बर 739/903 रकबा 0.99 हैक्टर कायम किये गये तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त कर्मचारियों ने उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 613/491 हाल खसरा नं. 739/903 को गलत तौर पर अवैधानिक रूप से सिवायचक खाता दर्ज कर दिया है परंतु वादी द्वारा अपने सम्पूर्ण वादपत्र में सेटलमेंट की अवधि का उल्लेख नहीं किया है और ना ही सेटलमेंट जमाबंदी पेश की है जिससे यह साबित नहीं होता कि विवादित आराजी खसरा नं. 613/491 हाल खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

739/903 को सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा सिवायचक दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट जमाबंदी के अभाव में वादी के उक्त कथन को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज वादपत्र, जवाबदावा प्रतिवादी नं. 2 लगायत 7, जवाब पैरोकार सरकार, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 8 तथा प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन कर उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात का निर्णय उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी नं. 1 – आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 1 वादपत्र वादी ने प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 को बेचान कर इन्तकाल नं. 274 प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 के पक्ष में खुला परन्तु खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ। ..... वादी

नकल जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श पी–1 में दर्ज नोट के अनुसार नामान्तरकरण सं. 275 केतागण के नाम दर्ज किया गया। विवादित आराजी का वादी द्वारा दिनांक 05.03.1976 से प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान करने के उपरान्त विवादित आराजी पर वादी के हक अधिकार समाप्त हो चुके हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को वादी द्वारा सक्षम न्यायालय से खारिज करवाना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। वादी द्वारा सम्पूर्ण विवादित आराजी की केवल बेचान से पूर्व की जमाबंदी संवत 2031 से 34 प्रदर्श पी 1 पेश की है अन्य कोई जमाबंदी पेश नहीं की, जिससे यह साबित नहीं होता कि संवत 2031 से 34 के बाद आराजी किसके नाम दर्ज रही। नामान्तरकरण सं. 275 केतागण के नाम स्वीकृत होने से केतागण विवादित आराजी के खातेदार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। नामान्तरकरण सं. 275 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया विक्रय 05.03.1976 के बावजूद वादी का ही कब्जा विवादग्रस्त आराजी पर ओपन एण्ड होस्टाइल रूप से प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के विरूद्ध रहा। .... वादी

विवादित आराजी खसरा नं. 613/491 हाल खसरा नं. 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर मुताबिक नकल जमाबंदी संवत 2051 से 2054 प्रदर्श पी 5 के अनुसार खाता सरकार सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है। इस सिवायचक आराजी पर अपने कब्जे काश्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

को साबित करने के लिए वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 2 के विवेचन में केवल वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 के जवाब एवं पी.डब्ल्यू. 1 तथा डी.डब्ल्यू. 1 के गवाह बयान के आधार पर वादी का खसरा नं. 739/903 की सिवायचक दर्ज आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की है। कब्जे काश्त के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड होल्डर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की। यदि खसरा नं. 739/903 की सिवायचक आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त माना भी जाये तब भी कब्जे काश्त के आधार पर सिवायचक आराजी पर रेस्पोडेंट कम 1 खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, अतः यह तनकी भी वादी रेस्पोडेंट कम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया खसरा नं. 613/491 रकबा 6 बीघा नया नम्बर 739/903 रकबा 0.99 हेक्टर सिवायचक गलत तौर पर दर्ज की गयी है, जिसे वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

.... वादी

नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श पी 4 के अनुसार साबिक खसरा नं. 613/491 मि. के हाल खसरा नं. 739/903 बने हैं, परन्तु वादी द्वारा दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई भू प्रबन्ध जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2031–2034 प्रदर्श पी 1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2051–2054 प्रदर्श 5 दोनों चौसाला जमाबंदियां हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट तैयार की गई भू प्रबन्ध जमाबंदी के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 के विवेचन में यह स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है कि विवादित आराजी को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटि कर सिवायचक दर्ज किया है, अतः वादी इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादी अपना नाम खातेदारी दर्ज करवाने का वैधानिक तौर पर अधिकारी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट तैयार की गई, भू प्रबन्ध जमाबंदी के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का यह स्वीकार करना विधि विरूद्ध है। वादी द्वारा विवादित आराजी को पूर्व में विक्रय करने से वादी इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश करने का अधिकारी भी नहीं रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी भी वादी रेस्पोडेंट कम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 – क्या नगर पालिका क्षेत्र में होने से आराजी आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती ?

.... प्रतिवादी

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादपत्र में आवंटन/नियमन को लेकर कोई विवाद का बिन्दु नहीं है। तनकी नं. 1, 2, 3 में किये गये विवेचन के अनुसार वादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रेस्पोडेंट कम 1 विवादित आराजी खसरा नं. 739/903 सिवायचक खाता सरकार पर इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 – क्या बिना विक्रय विलेख ता0 05.03.1976 निरस्त कराये दावा पोषणीय नहीं है ?

.... प्रतिवादी

तनकी नं. 5 में अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के मध्य विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 का वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होना प्रतीत होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नं. 739/903 जो नकल जमाबंदी संवत 2051 से 2054 प्रदर्श पी 5 के अनुसार खाता सरकार सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है के सन्दर्भ में इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट तैयार की गई भू प्रबन्ध जमाबंदी के अभाव में वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि खसरा नं. 739/903 की विवादित आराजी भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने अवैध रूप से सिवायचक दर्ज की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिवायचक आराजी के सन्दर्भ में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के मध्य विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 के संबंध में कोई विवाद नहीं होना मानते हुए तनकी नं. 5 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.1976 को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी द्वारा दायर वाद पोषणीय नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2004 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2004 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये रद्दोबदल को खारिज करते हुए विवादित आराजी खसरा नं. 739/903 को पुनः खाता सरकार सिवायचक लगानी दर्ज किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

बनाम

.. अपीलांट

1. दोजमल आत्मज रामसुख, जाति छीपा, निवासी दीनदयाल पार्क के पास बारां
2. जुगल किशोर पुत्र हजारी लाल विजयवर्गीय, जाति महाजन मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

2/1. श्रीनिवास विजय पुत्र जुगलकशोर, जाति महाजन, निवासी 6–ए 1 महावीर नगर तृतीय कोटा

2/2. मंगल बिहारी पुत्र जुगलकिशोर, जाति महाजन, निवासी बी–4/501 वाटरलिली अदाणी शान्तिग्राम एस.जी.हाईवे वैष्णोदेवी सर्कल के पास, अहमदाबाद पिन कोड 382421

2/3. गायत्री विजय पुत्र जुगल किशोर पत्नी सुरेश चन्द विजय, जाति महाजन, निवासी प्लाट नं. 5 एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे गुढा कटला रोड बादीकुई, जिला दौसा पिन कोड 303313

3. सीतादेवी बेवा श्री बृजमोहन जोशी, जाति ब्राहमण
4. पुरूषोत्तम पुत्र गंगाधर, जाति ब्राहमण, निवासीगण जयप्रकाश कालोनी, बारां
5. अरविन्द कुमार पुत्र महेशचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी स्टेशन रोड, बारां
6. विष्णुप्रसाद पुत्र श्री गुलाबचन्द, जाति छीपा, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां
7. धीरज कुमार पुत्र दुलीचन्द, जाति महाजन, निवासी शाहबाद वार्ड बारां, तहसील व जिला बारां (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान :–

7/1. विद्यादेवी पत्नी धीरज कुमार, जाति महाजन, निवासी प्लाट ए'04 कृष्णा कालोनी, हास्पीटल रोड, बारां

7/2. अरूण गर्ग पुत्र धीरज कुमार, जाति महाजन, निवासी प्लाट ए'04 कृष्णा कालोनी, हास्पीटल रोड, बारां

7/3. स्वाति पुत्री धीरज कुमार, पत्नी शैलेन्द्र गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 26 आरोग्य नगर, मेडिकल कालेज के सामने अन्नतपुरा फूटा तालाब, कोटा

7/4. प्रियंका पुत्री धीरज कुमार पत्नी निखिल जैन, जाति महाजन, निवासी 3 ई 25 तलवंडी कोटा, केशवपुरा कोटा

7/5. रितु पुत्री धीरज कुमार पत्नी अभिषेक गुप्ता, जाति महाजन, निवासी प्रकाश नमकीन के पास आजाद सर्किल छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2011/00026 (2011/15)**
मु.द.नं0 **54/2003**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपजिला कलेक्टर, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **20.04.2004**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 03 सन् 2026**

श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओ. पी. मेहता** व श्री **लक्ष्य भारद्वाज** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2004 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2004 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये रद्दोबदल को खारिज करते हुए विवादित आराजी खसरा नं. 739/903 को पुनः खाता सरकार सिवायचक लगानी दर्ज किया जाये।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **02 माह 04 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)